प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

1. राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।
2. राज्य के सभी सहायता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।
3. राज्य के सभी स्वं वित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादि क्रमांक 1/2–2019 तम (1)
दिनांक, पंचकूला 10.9.2019

विषय : **हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019–सहयोग।**

''''''

उपरोक्त विषय पर मुझे निर्देश हुये है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से प्राप्त पत्र क्रमांक 184/सहयोग/विधानसभा/निर्वाचन–2019/2ए0ई0–9737, दिनांक 20.8.2019 की प्रति आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित करूं।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

उप–निदेशक तालमेल
कृतेः निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

CFMS No. 26089 Dated 30/8/19
O/o DHE Hr. PKL

OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

विधानसभा आम चुनाव 2019 / तत्काल

क्रमांक: 184/सहयोग/विधानसभा/निर्वाचन--2019/2एई-9737 दिनांक: 20-8-19

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ।
3. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।
4. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग ।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा ।
6. राज्य के सभी मण्डल आयुक्त ।
7. राज्य में सभी उपायुक्त ।
8. राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।

Director Higher Education
30 AUG 2019
No ....
Haryana, Panchkula

विषय:- हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2019 – सहयोग ।

महोदय / महोदया

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह कहने के निर्देश हुए हैं कि विधान सभा आम चुनाव 2019 का कार्य इस समय आरम्भ हो चुका है । जैसा कि आपको विदित है कि चुनाव प्रक्रिया एक जटिल तथा समयबद्ध कार्य है । चुनाव की घोषणा भी आगामी दिनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कभी भी की जा सकती है ।

अतः यह आवश्यक है कि चुनाव सम्बन्धी विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक व सुचारू रूप से निर्धारित समय में सम्पन्न किया जाए । चुनाव के प्रोग्राम में कुछ विषय कानूनी प्रावधानों पर आधारित हैं, जिनका निर्धारित समय के अन्दर-2 पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है ।

इसके अतिरिक्त चुनाव सम्बन्धी विषय में किसी प्रकार की ढील, चुनाव कार्यक्रम को अस्त–व्यस्त कर सकती है, जिसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं । ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, यह अति आवश्यक हो जाता है कि हरियाणा राज्य के सभी विभागों द्वारा निर्वाचन विभाग को हर प्रकार से पूर्ण तथा तत्परता से सहयोग दिया जाए ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस विभाग द्वारा आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों को प्राथमिकता दी जाए तथा जब भी इस विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना, आपसे निर्धारित समय में मांगी जाए, तो आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि मांगी गई सूचना हर मामले में, वांछित अवधि में इस विभाग को अवश्यमेव पहुंच जाएं । इसके अतिरिक्त आप राज्य में अपने अधीन सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वह सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों / रिटनिंग अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें । विभाग को पूर्ण विश्वास है कि चुनाव कार्य में जब कभी भी आपकी व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होगी, तो उस समय भी आप अपना सहयोग देंगे और चुनाव कार्य में भी यथा सम्भव सहायता करेंगे ।

इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया आप अपने अधीन सभी सरकारी / अर्ध सरकारी बोर्ड, निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159(1)(2) (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत आते हैं, उनकी सेवाओं की चुनाव कार्यो के लिए जब भी सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मांग की जाए उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। कृपया मामले में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाने का भी कष्ट करे ।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे ।

भवदीय,

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।

Office 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh 160017 (India) Tel 0172-2701200, 2728936, 2701362 Fax 0172-2706556
र्यालय: 30 बेज बिल्डिग, तृतीय तल, सैक्टर 17 बी, चण्डीगढ 160017 (भारत) दूरभाष: 0172-2701200, 2728936, [illegible] फैक्स 0172-2706556
-mail hry_elect@yahoo.com Website www.ceoharyana.nic.in

Provided that where at an election held in, accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, a candidate is not elected, the deposit made by him shall be forfeited if he does not get more than one-sixth of the number of votes prescribed in this behalf as sufficient to secure the return of a candidate.

(*5*) Notwithstanding anything in sub-sections (*2*), (*3*) and (*4*),—

(*a*) if at a general election, the candidate is a contesting candidate in more than one parliamentary constituency or in more than one assembly constituency, not more than one of the deposits shall be returned, and the others shall be forfeited.

(*b*) if the candidate is a contesting candidate at an election in more than one council constituency or at an election in a council constituency and at an election by the members of the State Legislative Assembly to fill seats in the Legislative Council, not more than one of the deposits shall be returned, and the others shall be forfeited.]

[1][159. **Staff of certain authorities to be made available for election work.**—(*1*) The authorities specified in sub-section (*2*) shall, when so requested by a Regional Commissioner appointed under clause (*4*) of article 324 or the Chief Electoral Officer of the State, make available to any returning officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with an election.

(*2*) The following shall be the authorities for the purpose of sub-section (*1*), namely:—

(*i*) every local authority;
(*ii*) every university established or incorporated by or under a Central, Provincial or State Act;
(*iii*) a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
(*iv*) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a Central, Provincial or State Act or which is controlled, or financed wholly or substantially by funds provided, directly or indirectly, by the Central Government or a State Government.]

160. **Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.**—(*1*) If it appears to the State Government that in connection with an election held within the State—

(*a*) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or

(*b*) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election,

that Government may by order in writing requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the poll at such election.

(*2*) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(*3*) Whenever any property is requisitioned under sub-section (*1*), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

1. Subs. by Act 12 of 1998, s. 2 (w.e.f. 23-12-1997).